कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा वर्ष 2016–17 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांक– शिविरा–माध्य/ संस्था/बी–2/ प्रधानाचार्य/डीपीसी/2016–17 दिनांक 29.04.2016 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में कम सं 30, वरिष्ठता कमांक 1141 श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा, व्याख्याता(अंग्रेजी) राउमावि चाकसू जयपुर को प्रधानाचार्य पदौन्नति पर जरिए काउन्सलिंग सहमति पत्र के आधार पर खरनोटा, राजसमन्द में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था।

लेकिन उक्त पदौन्नत कार्मिक ने पदौन्नति उपरान्त वांछित जिले में पदस्थापित नहीं किये जाने से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं 17982/2016 सुरेन्द्र कुमार मीणा बनाम सरकार दायर की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को दिनांक 27.07.17 के आदेश द्वारा निर्णित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सकारण जरिए स्पीकिंग ऑर्डर 6 सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश पारित किये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपने 7 वर्षीय पुत्र की मानसिक विमन्दता का उल्लेख करते हुए मांग की गई है कि उसे जयपुर शहर के आस पास प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे ताकि वह मानसिक रूप से विमन्दित अपने पुत्र की देखभाल सही प्रकार से कर सके और उसकी चिकित्सा व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध कर सके।

याचिकार्थी श्री मीणा द्वारा स्वयं को जयपुर जिले में राउमावि. खारखडा, जमवारामगढ या राउमावि हरसूलिया फागी में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की गई है। याचिकार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उसकी परिवेदना पर गहनता से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए उक्त दोनों विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद स्पष्ट रिक्त नहीं है। जयपुर जिले में वर्तमान समय में प्रधानाचार्य का कोई भी पद स्पष्ट रिक्त पद की श्रेणी में नहीं है। चूंकि याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा का पद है तद्नुसार इस पद को धारित कार्मिक को राज्य एवं लोकहित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी से उच्च वरिष्ठता कमांक पर स्थित श्री रामावतार मीणा (क स.–25, वरिष्ठता कमांक–1118) को भी पदोन्नति उपरान्त उनके ग्रह जिले जयपुर से बाहर चितौडगढ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया है।

अतः याचिकार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि. खरनोटा, राजसमन्द द्वारा चाहे गए पद स्पष्ट रिक्त पदों की श्रेणी में नहीं आने के कारण याचिकार्थी के अभ्यावेदन को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नर्थमल डिडेल)
आई.ए.स.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।
दिनांक 18.12.17

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/बी–2/याचिका/सुरेन्द्र मीणा/17982/2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्य. राजसमन्द।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर।
5. सहायक निदेशक विधि कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकाथी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।